

**अनुदान संख्या 30 - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**  
**GRANT No. 30 - MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>				
स्वीकृत- मूल	Voted- Original	3012,28,00	3012,34,00	1921,19,36	- 1091,14,64
पूरक वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Supplementary Amount surrendered during the year	6,00			
					930,45,28
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>				
स्वीकृत- मूल	Voted- Original	70,13,00	80,63,00	75,49,84	-5,13,16
पूरक वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Supplementary Amount surrendered during the year	10,50,00			
					4,05,00

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचत/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

**Notes and comments**

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	3935.00	4307.77	4262.86	- 44.91
पु.	R.	372.77			
मुख्य शीर्ष "2406"	Major Head "2406"				
वानिकी तथा वन्य जीव	Forestry and Wild life				
मू.	O.	84918.00	59884.49	57239.09	- 2645.40
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	- 25035.51			

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

अधिक व्यय+  
Excess+  
बचत-  
Saving-  
(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	19300.00			
पू.	S.	2.00	..	..	..
पु.	R.	-19302.00			
मुख्य शीर्ष "3435"	Major Head "3435"				
परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण	Ecology and Environment				
मू.	O.	162831.00			
पू.	S.	2.00	111472.11	98046.85	- 13425.26
पु.	R.	-51360.89			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	30243.00			
पु.	R.	2281.35	32524.35	32570.56	+46.21

(I) ₹41659.00 लाख का प्रावधान (दिसम्बर, 2012 और मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तेईस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹41332.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2406" - "वनरोपण और पारिस्थितिकी-विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी - विकास कार्यक्रम - हरित भारत मिशन" - ₹22105.00 लाख अपूर्ण परियोजनाओं की वजह से मिशन के स्थायी वित्त समिति/व्यय वित्त समिति जापन को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of ₹41659.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2012 and March, 2013) remained wholly unutilised under twenty three heads; of these ₹41332.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2406" - "Afforestation and Ecology-Development - National Afforestation and Ecology - Development Programme - Green India Mission" - ₹22105.00 lakhs - due to non-approval of the Standing Finance Committee/Expenditure Finance Committee memo of the mission owing to incomplete projects.

- |   |  |
|---|--|
| <p>(खा) मुख्य शीर्ष “2552”-</p> <p>(क) “पर्यावरण वानिकी वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण - केंद्रीय प्राणिउद्यान प्राधिकरण” - ₹300.00 लाख;</p> <p>(ख) “वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम” -</p> <p>(i) “राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम” - ₹7500.00 लाख;</p> <p>(ii) “पारिस्थितिकी विकास बल” - ₹351.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);</p> <p>(iii) “हरित भारत मिशन” - ₹2295.00 लाख;</p> <p>(ग) “पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवण/पर्यावरण/शिक्षा और प्रशिक्षण/विस्तार - पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण विस्तार” - ₹500.00 लाख;</p> <p>(घ) “राष्ट्रीय नदी के प्रदूषण का निवारण - राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम” - ₹2200.00 लाख;</p> <p>(ङ) “वानिकी - वन संरक्षण विकास और पुनरुद्भवण - एकीकृत वन संरक्षण स्कीम” - ₹2080.00 लाख;</p> <p>(च) “पर्यावरण वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण” -</p> <p>(i) “परियोजना बाघ” - ₹1600.00 लाख;</p> <p>(ii) “परियोजना हाथी” - ₹300.00 लाख;</p> | <p>(B) Major Head “2552”-</p> <p>(a) “Environment Forestry Wild life- Wild life Preservation- Central Zoo Authority”- ₹300.00 lakhs;</p> <p>(b) “Afforestation and Eco-Development – National Afforestation and Eco-Development Programme”-</p> <p>(i) “National Afforestation Programme”- ₹7500.00 lakhs;</p> <p>(ii) “Eco-Development Forces” - ₹351.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);</p> <p>(iii) “Green India Mission” – ₹2295.00 lakhs;</p> <p>(c) “Environmental Research and Ecological Regeneration/Environmental/ Education/ and Training/Extension. - Environment Education and Training Extension”- ₹500.00 lakhs;</p> <p>(d) “Prevention of Pollution of National River - National River Conservation Programme”- ₹2200.00 lakhs;</p> <p>(e) “Forestry – Forest Conservation Development and Regeneration - Integrated Forest Protection Scheme”- ₹2080.00 lakhs;</p> <p>(f) “Environmental Forestry and Wildlife – Wild life Preservation”-</p> <p>(i) “Project Tiger”- ₹1600.00 lakhs;</p> <p>(ii) “Project Elephant”- ₹300.00 lakhs;</p> |
|---|--|

- (iii) “राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विकास/वन्य जीव आवासों के एकीकृत विकास के लिए सहायता” - ₹750.00 लाख;
- (iii) “Assistance to Development of National Parks and Sanctuaries/ Integrated Development of Wildlife Habitats” – ₹750.00 lakhs;
- (छ) “पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवन - संरक्षण कार्यक्रम” -
- (g) “Environmental Research and Ecological Regeneration – Conservation Programme”-
- (i) “जीवमंडल रिजर्व” - ₹200.00 लाख;
- (i) “Biosphere Reserves”- ₹200.00 lakhs;
- (ii) “आर्द्र भूमि” - ₹200.00 लाख;
- (ii) “Wetlands” - ₹200.00 lakhs;
- (ज) “अन्य (वानिकी और वन्य जीव) - अन्य व्यय - प्रदूषण के उपशमन के लिए सहायता” - ₹200.00 लाख;
- (h) “Others (Forestry and Wildlife) – Other Expenditure – Assistance for Abatement of Pollution” – ₹200.00 lakhs;
- (झ) “वानिकी - शिक्षा और प्रशिक्षण - भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद - ₹601.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)।
- (i) “Forestry – Education and Training – Indian Council of Forestry Research and Education”- ₹601.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh).
- उपर्युक्त चौदह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।
- Provisions under the above fourteen heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.
- (गा) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना - वानिकी - वन संरक्षण - विकास और पुनरुद्भवन” - ₹150.00 लाख प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।
- (C) Major Head “3601” – “Grants for Central Plan Schemes – Special Component Plan for Scheduled Castes – Forestry – Forest Conservation – Development and Regeneration” – ₹150.00 lakhs – due to non-receipt of proposals.
- (II) मुख्य शीर्ष “2406” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-
- (II) Under Major Head “2406” – savings occurred under the following heads:-
- (का) “वानिकी”-
- (A) “Forestry” -
- (क) “शिक्षा और प्रशिक्षण” -
- (a) “Education and Training” –

- (i) “वानिकी कार्मिकों का विदेश में प्रशिक्षण” - ₹103.49 लाख की बचत (₹105.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (ii) “वन प्रबंधन और कार्मिक प्रशिक्षण के लिए क्षमता निर्माण”- ₹967.80 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

- (i) “Foreign Training of Forestry Personnel” – saving of ₹103.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹105.00 lakhs); and
- (ii) “Capacity Building for Forests Management and Training of Personnel” – saving of ₹967.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें विभिन्न संस्थाओं/राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non- receipt of proposals from various institutions/State Governments.

- (ख) “वन संरक्षण, विकास और पुनरुदभव - एकीकृत वन संरक्षण स्कीम/वन प्रबंधन का सुदृढीकरण” - ₹117.64 लाख की बचत (₹180.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

- (b) “Forest Conservation, Development and Regeneration - Integrated Forest Protection Scheme/Intensification of Forest Management”- saving of ₹117.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹180.00 lakhs); and

- (खा) “वनरोपण और पारिस्थितिकी-विकास” -

- (B) “Afforestation and Ecology-Development”-

- (क) “राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी-विकास कार्यक्रम” -

- (a) “National Afforestation and Ecology-Development Programme”-

- (i) “राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम” - ₹4204.95 लाख की बचत (₹22115.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

- (i) “National Afforestation Programme”- saving of ₹4204.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹22115.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें और संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

- (ii) “राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी-विकास बोर्ड” - ₹232.93 लाख की बचत (₹724.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

- (ii) “National Afforestation and Eco-Development Board”- saving of ₹232.93 lakhs (against the sanctioned

प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार समारोह स्थगित किए जाने के कारण हुई।

provision of ₹724.00 lakhs) was due to non-approval of proposals and postponement of Indira Priyadarshini Vriksha Mitra (IPVM) award function.

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम” - ₹1204.19 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes-National Afforestation and Eco-Development Programme”- saving of ₹1204.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs); and

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना - राष्ट्रीय वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम” - ₹169.00 लाख की बचत (₹300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(c) “Tribal Area Sub-Plan-National Afforestation and Eco-Development Programme”- saving of ₹169.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹300.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें मिशन के व्यय वित्त समिति के जापन को अनुमोदन प्रदान न किए जाने और संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-approval of Expenditure Finance Committee (EFC) memo of the mission and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) मुख्य शीर्ष “3435” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(III) Under Major Head “3435”-savings occurred under the following heads:-

(का) “पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिक पुनरुद्भवण” -

(A) “Environmental Research and Ecological Regeneration” -

(क) “पर्यावरण शिक्षा/प्रशिक्षण/विस्तार - पर्यावरण शिक्षा प्रशिक्षण स्कीम” - ₹528.10 लाख की बचत (₹5460.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रेल मंत्रालय को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रतिभूति जमा के समायोजन के कारण हुई।

(a) “Environmental Education/ Training/ Extension - Environmental Education Training Scheme”- saving of ₹528.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5460.00 lakhs) was due to adjustment of security deposit by Department of Science and Technology to Ministry of Railways.

(ख) “संरक्षण कार्यक्रम - जीवमंडल रिजर्व” - ₹115.43 लाख की बचत (₹150.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने,

(b) “Conservation Programme - Biosphere Reserves” - saving of ₹115.43 lakhs (against the sanctioned provision of

प्रबंधन कार्रवाई कार्यक्रम 2012-13 के कार्यान्वयन संबंधी प्रस्ताव देर से प्राप्त होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

₹150.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificate, late receipt of proposals for implementation of Management Action Programme (MAP) 2012-13 and economy measures.

- (ग) “पर्यावरण आयोजना और समन्वय - पर्यावरण सूचना प्रणाली” - ₹122.26 लाख की बचत (₹801.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ पर्यावरण सूचना प्रणाली केंद्रों से प्रस्ताव प्राप्त न होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (घ) “अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भव - अनुसंधान और विकास” - ₹578.46 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थायी वित्त समिति जापन को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।
- (ङ) “जलवायु परिवर्तन कार्रवाई कार्यक्रम - जलवायु परिवर्तन प्रशासन” - ₹1790.58 लाख की बचत (₹2235.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति जापन को अनुमोदन प्रदान न किए जाने, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का कार्यालय स्थापित न किए जाने और विदेशी दौरे कम किए जाने के कारण हुई।
- (च) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यकलाप” - ₹119.46 लाख की बचत (₹997.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रकाशन कार्य के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।
- (खा) “प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण”-
- (c) “Environmental Planning and Co-ordination - Environmental Information System”-saving of ₹122.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹801.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from some Environmental Information system (ENVIS) centres and economy measures.
- (d) “Research and Ecological Regeneration - Research and Development”- saving of ₹578.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-approval of Standing Finance Committee (SFC) memo.
- (e) “Climate Change Action Programme - Climate Change Administration” - saving of ₹1790.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2235.00 lakhs) was due to non-approval of Expenditure Finance Committee (EFC) memo, non-establishment of office of National Green Tribunal(NGT) and less foreign tours undertaken.
- (f) “International Co-operation-International Co-operation Activities” - saving of ₹119.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹997.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards publication work.
- (B) “Prevention and Control of Pollution” –

- (क) “राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण का निवारण - राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम” - ₹32184.98 लाख की बचत (मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹66030.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किए जाने और संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में कमी किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (ख) “वायु और जल प्रदूषण का निवारण”-
- (i) “केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड” - ₹1883.20 लाख की बचत (₹6532.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में कमी किए जाने, उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (ii) “जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण (उपकर)” - ₹9122.74 लाख की बचत (₹25000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।
- (iii) “पर्यावरण प्राधिकरणों की स्थापना” - ₹482.76 लाख की बचत (₹1050.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पीठों को स्थापित न किए जाने, रिक्त पदों को भरे न जाने और स्थायी वित्त समिति जापन को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।
- (a) “Prevention of Pollution of National Rivers - National River Conservation Programme” - saving of ₹32184.98 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹66030.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2013) was due to non-submission of utilisation certificates, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.
- (b) “Prevention of Air and Water Pollution”-
- (i) “Central Pollution Control Board”- saving of ₹1883.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6532.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance, non-receipt of utilization certificates and economy measures.
- (ii) “Prevention and Control of Water Pollution (Cess)”- saving of ₹9122.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹25000.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificate and economy measures.
- (iii) “Establishment of Environment Authorities”-saving of ₹482.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1050.00 lakhs) was due to non-establishment of benches of National Green Tribunal (NGT), non-filling up of vacant posts and non-approval of Standing Finance Committee memo.

(iv) “संयुक्त बहिःसावी उपचार संयंत्रों का संवर्धन” - ₹180.00 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iv) “Promotion of Common Effluent Treatment Plants”- saving of ₹180.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs);

(ग) “प्रभाव निर्धारण” -

(c) “Impact Assessment”-

(i) “स्वच्छ प्रौद्योगिकी और अपशिष्ट न्यूनीकरण नीतियों का विकास और संवर्धन” - ₹199.15 लाख की बचत (₹478.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(i) “Development and Promotion of Clean Technology and Waste Minimisation Strategies”- saving of ₹199.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹478.00 lakhs); and

(ii) “राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम” - ₹10000.00 लाख की बचत (₹12500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(ii) “National Coastal Management Programme”- saving of ₹10000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12500.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(घ) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - राष्ट्रीय नदियों के प्रदूषण का निवारण” - ₹500.00 लाख की बचत (₹1746.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(d) “Special Component Plan for Scheduled Castes-Prevention of Pollution of National Rivers”- saving of ₹500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1746.00 lakhs) was due to non – receipt of viable proposals.

(गा) “अन्य - अन्य व्यय”-

(C) “Others - Other Expenditure”-

(क) “जोखिमपूर्ण पदार्थ प्रबंधन” - ₹6520.06 लाख की बचत (₹8985.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं को काम पर रखे जाने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति जारी करने में विलम्ब होने और संशोधित अनुमान चरण पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(a) “Hazardous Substance Management”- saving of ₹6520.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8985.00 lakhs) was due to delay in issuing expression of interest for hiring consultants for preparation of detailed project reports and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

- (ख) “भारत सरकार - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम - पर्यावरण सहायता कार्यक्रम” - ₹416.58 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दाता अभिकरण से परियोजना कार्यान्वयन भागीदार को परियोजना का सीधे ही निधीयन किए जाने के कारण हुई।
- (ग) “वर्गीकरण क्षमता निर्माण परियोजना” - ₹259.65 लाख की बचत (₹290.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के स्थायी वित्त समिति जापान को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।
- (घ) “जैव-विविधता संरक्षण और ग्रामीण जीविका समुन्नयन” - ₹864.60 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना कर्मचारियों की भर्ती देर से किए जाने, विदेश दौरा न किए जाने, आवास किराए पर लिए जाने के मूर्तरूप न ले पाने, समीक्षा बैठक आयोजित न किए जाने, परामर्श सेवा लेने का कार्य देर से सौंपे जाने, परियोजना देर से शुरू किए जाने और पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।
- (ङ) “प्रदूषण के उपशमन, पर्यावरण नीति और विधि के लिए सहायता” - ₹230.90 लाख की बचत (₹635.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और
- (IV) मुख्य शीर्ष “3601” - “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवन - संरक्षण कार्यक्रम - जीवमंडल रिजर्व” के अंतर्गत ₹441.54 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।
- (b) “Govt. of India - United Nations Development Programme (GOI-UNDP) - Environment Support Programme (EAP)”- saving of ₹416.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to direct funding of the project from donor agency to the project implementing partner.
- (c) “Taxonomy Capacity Building Project”- saving of ₹259.65 lakhs (against the sanctioned provision of ₹290.00 lakhs) was due to non-approval of Standing Finance Committee (SFC) memo of the scheme.
- (d) “Bio-Diversity Conservation and Rural Livelihood Improvement (EAP)”- saving of ₹864.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to late recruitment of project staff, non-materialization of foreign tour, hiring of accommodation, non-holding of review meeting, late awarding of consultancy, late start of the project and availability of unspent balance of previous years.
- (e) “Assistance for Abatement of Pollution, Environment Policy and Law”- saving of ₹230.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹635.00 lakhs); and
- (IV) Under Major Head “3601” – “Grants for Central Plan Schemes-Environmental Research and Ecological Regeneration - Conservation Programme - Biosphere Reserves”- saving of ₹441.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने/प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-receipt/non-submission of utilisation certificates.

(V) ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत ₹802.06 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परन्तु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत से 84 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹5669.40 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिसम्बर, 2012 में ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2406"-

(क) "वानिकी - अनुसंधान - भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद" - ₹3341.30 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹915.30 लाख था।

(ख) "पर्यावरण वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिरक्षण - भारतीय वन्य जीव संस्थान" - ₹186.20 लाख।

(खा) मुख्य शीर्ष "3435" -

(क) "पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवन - अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवन - पारिस्थितिकी विकास बल" - ₹850.00 लाख।

(ख) "अन्य - अन्य व्यय -

(i) "राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली" - ₹299.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹155.61 लाख था।

(ii) "जैव-विविधता संरक्षण" - ₹992.90 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹195.63 लाख था।

(V) Under eleven heads savings of ₹802.06 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 12 percent to 84 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹5669.40 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹4.00 lakhs in December, 2012 and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(A) Major Head "2406" -

(a) "Forestry - Research - Indian Council of Forestry Research and Education"- ₹3341.30 lakhs. Actual excess, however, was ₹915.30 lakhs.

(b) "Environmental Forestry and Wildlife - Wildlife Preservation - Wildlife Institute of India" - ₹186.20 lakhs.

(B) Major Head "3435" -

(a) "Environmental Research and Ecological Regeneration- Research and Ecological Regeneration - Eco-Development Forces" - ₹850.00 lakhs.

(b) "Others - Other Expenditure" -

(i) "National Natural Resource Management System" - ₹299.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹155.61 lakhs.

(ii) "Bio-Diversity Conservation" - ₹992.90 lakhs. Actual excess, however, was ₹195.63 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय" - ₹327.86 लाख का अधिक व्यय (₹3935.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित चिकित्सा दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2406" -

(क) "वानिकी - शिक्षा और प्रशिक्षण - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी" - ₹213.46 लाख का अधिक व्यय (₹3928.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अकादमी के मध्य-करियर प्रशिक्षण के जमा व्यय, अनुरक्षण और प्रचालनों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "पर्यावरण वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिक्षण - केंद्रीय प्राणिउद्यान प्राधिकरण" - ₹300.00 लाख का अधिक व्यय (₹1550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3435"-

(क) "सर्वेक्षण (वानस्पतिक) - अनुसंधान - क्षेत्रीय कार्यालय" - ₹167.46 लाख का अधिक व्यय (₹1247.88 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "सर्वेक्षण (जीव विज्ञान संबंधी) - अनुसंधान - मुख्यालय कार्यालय" - ₹237.67 लाख का अधिक व्यय (₹972.54 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Environment and Forests"- excess of ₹327.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3935.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards clearance of pending medical claims.

(B) Major Head "2406" -

(a) "Forestry - Education and Training -Indira Gandhi National Forest Academy" - excess of ₹213.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3928.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards spill-over expenses of Mid-Career Training, maintenance and operations of the Academy.

(b) "Environmental Forestry and Wild Life - Wild Life Preservation - Central Zoo Authority"- excess of ₹300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1550.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) Major Head "3435" -

(a) "Survey (Botanical) - Research - Regional offices"- excess of ₹167.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1247.88 lakhs); and

(b) "Survey (Zoological) - Research - Headquarters Office"- excess of ₹237.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹972.54 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय दैनिक मजदूरों के वेतन और नियुक्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष “3601” -

(क) “केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -

- (i) “पर्यावरण अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भव - संरक्षण कार्यक्रम - आर्द्र भूमि” - ₹200.00 लाख का अधिक व्यय (₹950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;
- (ii) “वानिकी - वन संरक्षण विकास और पुनरुद्भव - एकीकृत वन संरक्षण स्कीम/वन प्रबंधन का सुदृढीकरण” - ₹686.33 लाख का अधिक व्यय (₹4414.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) “केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान” -

- (i) “पर्यावरण वानिकी और वन्य जीव - वन्य जीव परिक्षण - परियोजना बाघ - राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों को सहायता” - ₹1217.28 लाख का अधिक व्यय (₹13470.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और
- (ii) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना - पर्यावरण वानिकी और वन्य जीव - प्राणिकुल” - ₹131.17 लाख का अधिक व्यय (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards salaries and engagement of casual labour.

(D) Major Head “3601” -

(a) “Grants for Central Plan Schemes” -

- (i) “Environmental Research and Ecological Regeneration – Conservation Programme – Wetlands” – excess of ₹200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹950.00 lakhs);
- (ii) “Forestry – Forest Conservation Development and Regeneration – Integrated Forest Protection Scheme/ Intensification of Forest Management”- excess of ₹686.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4414.00 lakhs);

(b) “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes” -

- (i) “Environmental Forestry and Wildlife – Wildlife Preservation - Project Tiger – Assistance to National Parks and Sanctuaries” – excess of ₹1217.28 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13470.00 lakhs); and
- (ii) “Tribal Area Sub-Plan - Environmental Forestry and Wildlife - Zoological Park”-excess of ₹131.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs).

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head

लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

- (iii) “पर्यावरण वानिकी और वन्य जीव - प्राणिउद्यान - राष्ट्रीय उद्यान के विकास/वन्य जीवों के आवासों के एकीकृत विकास के लिए सहायता” - ₹798.82 लाख का अधिक व्यय (₹6100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और राज्य सरकारों से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(III) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹199.25 लाख का अधिक व्यय हुआ जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹513.16 लाख) दिसम्बर, 2012 और मार्च, 2013 में प्राप्त किए गए ₹1050.00 लाख के पूरक अनुदान का 49 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 6 प्रतिशत था।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

“2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim.

- (iii) “Environmental Forestry and Wildlife –Zoological Park – Assistance for Development of National Park/Integrated Development of Wildlife Habitats”- excess of ₹798.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6100.00) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and receipt of more proposals from the State Governments.

(III) Under three heads excess of ₹199.25 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs and constituting 14 percent to 18 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹513.16 lakhs) constituted 49 percent of the supplementary grants of ₹1050.00 lakhs obtained in December, 2012 and March, 2013 and 6 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत-  
Saving-  
(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "4406"	Major Head "4406"				
वानिकी और वन्यजीव पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Forestry and Wildlife				
मू.	O.	550.00	230.00	230.00	..
पु.	R.	-320.00			
मुख्य शीर्ष "5425"	Major head "5425"				
अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research				
मू.	O.	5363.00	6328.00	6219.84	-108.16
पू.	S.	1050.00			
पु.	R.	-85.00			

(I) मुख्य शीर्ष "5425" - "पारिस्थितिकी और पर्यावरण" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) "सिविल इंजीनियरी स्कंध" - ₹450.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹50.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹500.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो कर्मचारियों के प्रतिपूर्ति दावे प्रस्तुत न किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण ₹17.19 की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) "नए सिविल निर्माण कार्य" - ₹4913.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹5913.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹175.97 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(I) Supplementary grant obtained under Major Head "5425" - "Ecology and Environment" remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Civil Engineering Wing" – the original provision of ₹450.00 lakhs was augmented to ₹500.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹50.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹17.19 lakhs – due to non-submission of re-imburement claims of the officials and economy measures.

(B) "New Civil Works" – the original provision of ₹4913.00 lakhs was augmented to ₹5913.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹175.97 lakhs; and

(II) मुख्य शीर्ष "4406" - "वानिकी - संचार और भवन - नए सिविल निर्माण कार्य" के अंतर्गत ₹320.00 लाख की बचत (₹550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें अनुमोदन प्राप्त होने में विलम्ब होने और कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4406" – "Forestry – Communication and Buildings – New Civil Works" – saving of ₹320.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹550.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to delay in receipt of approvals and slow progress of work.

---